# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

**अपील संख्या :– 201/05 (धारा 76 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2005/00008)**

मटोल पुत्र अंगना जाति जाट निवासी बसेरी तहसील रूपवास (मृतक)

1/1 शान्ती पत्नी स्व0 मटोल

1/2 प्रभुदयाल पुत्र मटोल **(मृतक)**
1/2/1 भागवती पत्नी प्रभुदयाल
1/2/2 नीतूसिंह पुत्री प्रभुदयाल
1/2/3 प्रदुमनसिंह पुत्र प्रभुदयाल अव्यस्क सरपरस्त मां भगवती

1/3 भूरीसिंह पुत्र मटोल **(मृतक)**
1/3/1 कमलेश पत्नी भूरीसिंह
1/3/2 बृजेश पुत्र भूरीसिंह अव्यस्क सरपरस्त मां कमलेश
1/3/3 अनीषा पुत्री भूरीसिंह अव्यवस्क सरपरस्त मां कमलेश

1/4 परमानन्द
1/5 जगदीश

पुत्रगण स्व0 मटोल जाति जाट निवासी बसेरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

जाति जाट निवासी बसेरी तह0 रूपवास जिला भरतपुर

.....**अपीलान्टस**

**बनाम**

1. तेजसिंह (मृतक)
2. रामभजन
3. हरभान

पुत्रान शिवगणेश जाति जाट निवासी बसेरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4. मु0 झन्जो वेवा किशन
5. बदन
6. कल्यान उर्फ कलुआ
7. गिरधारी
8. हरमुख
9. अर्जुन

पुत्रान किशन

जाति जाट निवासी ग्राम बसेरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

10. तेजो पुत्री किशन पत्नी मोतीराम जाति जाट नि0 दयोपुरा तहसील व जिला भरतपुर।
11. मु0 जगवीरी पुत्री किशन पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी लोहागढ तहसील मांट जिला मथुरा उ0प्र0
12. लौहरी पुत्री किशन पत्नी चन्द्रपाल जाति जाट निवासी मांट तहसील मांट जिला मथुरा उ0प्र0

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.3.2009

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

13. सूखी पुत्री किशन पत्नी मुकेश जाति जाट निवासी लोहागढ तहसील मांट जिला मथुरा उ0प्र0
14. मु0 सौमोती वेवा ग्यासी जाति जाट निवासी बसेरी तहसील रूपवास।
15. नत्थीसिंह पुत्र ग्यासी (मृतक)
    - 15/1 शेरसिंह
    - 15/2 रामवीर
    - 15/3 ओमवीर
    - 15/4 सत्यवीर
    - 15/5 धर्मवीर

    पुत्रान स्व0 नत्थी

    - 15/6 प्रेमवती पत्नी स्व0 नत्थी

    जाति जाट निवासी ग्राम बसेरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

16. लालसिंह पुत्र ग्यासी
17. क्मला पुत्री ग्यासी पत्नी रामसहाय जाति जाट निवासी बुढवारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
18. मु0 सावो पुत्री ग्यासी पत्नी श्याम जाति जाट निवासी बुढवारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
19. लीला पुत्री ग्यासी पत्नी लखन जाति जाट निवासी बुढवारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
20. शकुन्तला पुत्री ग्यासी पत्नी नामालुम जाति जाट निवासी नगरी तहसील व जिला मथुरा उ0प्र0
21. मु0पांची पुत्री ग्यासी पत्नी नामालुम जाति जाट निवासी नगरी तहसील व जिला मथुरा उ0प्र0।

..... **रैस्पोडेन्ट**

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 4.9.2002 बाबत करने दाखिल खारिज विरासत मृतक रामजीलाल पुत्र देवीसिंह ग्राम बसेरी तहसील रूपवास दाखिल खारिज नम्बर 412

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिह वकील अपीलान्ट।
2. श्री धमेन्द्र प्रजापति वकील रैस्पोडेन्ट।

## निर्णय

**दिनांकः–12.03.2024**

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार रूपवास के निर्णय दिनांक 04.09.2002 वसिलसिले इन्तकाल नम्बर 412 दिनांक वाकै ग्राम बसेरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार रामजीलाल पुत्र देवीसिंह का दिनांक

12.3.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.08.1982 को लावल्द विला औरत स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 412 ग्राम बसेरी तहसील रूपवास का अपीलान्ट व किशन व ग्यासी के नाम भरकर पेश किया गया था, परन्तु ग्राम पचांयत ने दिनांक 30.07.1984 को वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज तेजसिंह, रामभजन, हरभान पिसरान शिवगणेश के नाम स्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत बसेरी के आदेश दिनांक 30.07.1984 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा अपील उपखण्डाधिकारी बयाना के समक्ष पेश की गई। उपखण्डाधिकारी बयाना ने आदेश दिनांक 30.06.2001 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आज्ञा ग्राम पचांयत बसेरी दिनांक 30.07.1984 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रूपवास को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि वो वसीयत की सत्यता की जांच कर पुनः आदेश दोनों पक्षों को सुनकर पारित करें। तहसीलदार रूपवास ने उपखण्डाधिकारी बयाना के इस रिमाण्ड आदेश दिनांक 30.06.2001 की पालना में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2002 पारित किया जिसमें आज्ञा पारित की गई कि ...." अपंजीकृत वसीयतनामा व गवाहान के आधार पर हम इसे दुरूस्त पाते है, लिहाजा नामान्तरकरण संख्या 412 वाकै ग्राम बसेरी को मृतक रामजीलाल के बजाय तेजसिंह, रामभजन व हरभान पिसरान शिवगणेश जाति जाट निवासी बसेरी के पक्ष में स्वीकृत किया जाता है। पटवारी परत व मूल नामान्तरकरण परत संख्या 412 वाकै गाम बसेरी की पुश्त पर निर्णय का अंकन किया जावे।....." तहसीलदार रूपवास के उक्त आदेश दिनांक 04.09.2002 के खिलाफ अपीलान्टस द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार रूपबास की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2002 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि का खातेदार रामजीलाल पुत्र देवीसिंह का दिनांक 27.08.1982 को लावल्द विला औरत स्वर्गवास हो गया तो उसकी विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 412 ग्राम बसेरी तहसील रूपवास का अपीलान्ट एवं किशन व ग्यासी के नाम भरकर पेश किया गया था, परन्तु ग्राम पचांयत ने दिनांक 30.07.1984 को वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज तेजसिंह, रामभजन, हरभान पिसरान शिवगणेश के नाम स्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत की ओर से भरे गये नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल तक चला। अन्त में उपखण्ड अधिकारी बयाना ने निर्णय दिनांक 30.06.2001 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत की ओर से तस्दीक किये गये नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रूपबास को इन निर्देशों के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.3.2009
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

साथ रिमाण्ड किया गया था कि वसीयत की सत्यता की जॉच कर उभयपक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में तहसीलदार रूपबास द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का न तो भलीभांति अवलोकन ही किया और न ही इसका समुचित परीक्षण ही किया। वरन् गलत अर्थ निकालकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। किसी भी साक्ष्य से रैस्पोडेन्टस संख्या 1, 2 व 3 वसीयतनामा दिनांक 19.08.1982 को साबित नहीं कर पाये थे, क्योंकि मृतक रामजीलाल ने दिनांक 19.08.1982 को रैस्पोडेन्ट तेज सिंह, रामभन, हरभान पिसरान शिवगणेश के नाम कोई वसीयत नहीं की थी। उक्त फर्जी वसीयतनामा दिनांक 25.06.1984 के बाद तैयार किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि इस बिन्दु से हो जाती है कि दिनांक 25.06.1984 को खुद किशन जो कि रैस्पोडेन्ट नम्बर 1,2,3 के बाबा है ने रामजीलाल को वारिस मानते हुये दाखिल खारिज अपने नाम करने के बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। तहसीलदार ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना निर्णय दे दिया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 गैर कानूनी होने के कारण काबिले मंसूखी है। विद्वान तहसीलदार ने रैस्पोडेन्ट नम्बर 1,2,3 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का गलत अर्थ लगाया है जबकि रैस्पोडेन्टस के साक्ष्य खुद ही सावित करती है कि उक्त वसीयतनामा फर्जी है, लेकिन अदालत मातहत द्वारा फर्जी वसीयतनामा में गवाहों के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों सीताराम पुत्र वालूराम एडी–1, मंजूराम पुत्र बृजफल एडी–2, गिजेन्द्र पुत्र ख्यालीराम एडी–3 के बयान लिये गये है। उनके बयानों के अवलोकन करने मात्र से ही उक्त वसीयत फर्जी व कूट रचित नजर आ जाती है, क्योंकि एडी–1 सीताराम ने वसीयत लिखने का समय दिन के तीन साढे तीन बजे का बताया गया है और सामूहिक चौपाल पर तैयार किया जाना बताया है जबकि एडी–2 द्वारा वसीयत के लिखने का समय सुबह दिन के 10 बजे के करीब बताया है और स्थान मृतक रामजीलाल के घर के अन्दर पाटौर पोश में बताया है। एडी–3 गिजेन्द्र ने लिखा–पढी का समय 11–12 बजे बताया है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य कहीं भी विश्वसनीय नजर नहीं आती है। किसी भी गवाह ने लिखने वाले का सही नाम व पता नहीं बताया है, सिर्फ अनुमान से रतनसिंह नाम का व्यक्ति बताया है। जिसको गैर अप्रार्थी ग्राम बछामदी का रतनसिंह पुत्र जियालाल सावित करने का प्रयास कर रहे है। क्योंकि वह कुछ दिन पूर्व मर चुका है। मृतक साक्ष्य में पेश नहीं हो सकता इसका लाभ रैस्पोडेन्ट उठाना चाहते है। रतनसिंह पुत्र जियालाल ग्राम बछामदी अनपढ व्यक्ति था वह सिर्फ हस्ताक्षर करना जानता था उसके हस्ताक्षर वसीयत पर वकलम के रूप में हस्ताक्षर करने वाले रतनसिह से बिल्कुल ही भिन्न है। इस रतनसिंह पुत्र जियालाल की आयु सन 1982 में 40–42 वर्ष के लगभग थी जबकि गवाह मन्जूराम ने लिखने वाले की आयु 25–30 वर्ष ही बताई है। प्रमाण के तौर पर रतनसिंह पुत्र जियालाल द्वारा किसी व्यक्ति को किये गये विक्रय पत्र की फोटो प्रति से साबित है, परन्तु इन सभी तथ्यों के होते हुये भी तहसीलदार ने इस फर्जी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.3.24
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वसीयत को इन साक्ष्यों पर भरोसा करके भारी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2002 निरस्तनीय है।

वकील अपीलानट ने यह भी तर्क दिया कि विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि वसीयत, गोदनामा, या दानपत्र जैसे जटिल बिन्दु को राजस्व अदालत प्रमाणित/वैद्यता प्रदान नहीं कर सकती उक्त विवादास्पद बिन्दु सिविल न्यायालय में नियमित वाद से ही तय किये जा सकते है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 2005 पेज 85 व आर.आर.डी. 2003 पेज 415 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांन्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि तहसीलदार रूपबास ने फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में तथाकथित वसीयत जिसके आधार पर तहसीलदार रूपबास द्वारा नामान्तकरण खोला गया है, जिसको अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई थी व थाने में एफ.आई. आर. भी दर्ज कराई गई थी। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि उक्त आदेश एक समरी प्रोसिंडिग लगती है। जिसमें वसीयत जैसे जटिल बिन्दु पर बिना तथ्यों की मीमांशा किये एक पेज का निर्णय पारित किया गया है, जो स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है और एक अपंजीकृत वसीयत के आधार पर तब जब अन्य वास्तविक उत्तराधिकारी मौजूद हों वसीयत को बिना गुणावगुण के आधार पर प्रमाणित कराये उसको वैद्य/प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और न ही इसके आधार पर कोई नामान्तकरण ही खोला जा सकता है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान तहसीलदार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तत्कालीन पटवारी हल्का व गिरदावर को साक्ष्य में बुलाने का अनुरोध किया गया था, पर विचार नहीं कर तत्कालीन सचिव, पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक को साक्ष्य में नहीं बुलाकर कानूनी भूल की है, क्योंकि इनके साक्ष्य में उपस्थिति होते ही यह सिद्ध हो जाता कि उनके समक्ष कोई वसीयतनामा' पेश नहीं हुआ था। उक्त प्रकरण में हुई पूर्व जॉच में यह साबित हो चुका था कि वसीयतनामा फर्जी है। इस संबंध में रैस्पोडेन्ट व अन्य लोगों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रकरण चल रहा है, जो कि निर्णय दिनांक को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। तहसीलदार रूपवास ने किस आधार पर व किस साक्ष्य से वसीयत सही मानी है। इसके संबंध में अपने निर्णय में उल्लेख नहीं किया है, वास्तव में रतनसिंह जिसके द्वारा वसीयत लिखा जाना बताया गया है वो वसीयत तो क्या एक शब्द भी लिख नहीं सकता था। जब रतनसिंह पुत्र जियालाल का स्वर्गवास हो गया तब इस रतनसिंह का नाम बताया गया है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 अपने पक्ष में वसीयत को साबित ही नहीं करा सके फिर भी वसीयतनामा के आधार पर दाखिल खारिज करने की आज्ञा देकर तहसीलदार रूपवास ने भारी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.3.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कानूनी भूल की है। रैस्पोडेन्ट नम्बर 1,2,3 ने फर्जकारी से वसीयत रामजीलाल के स्वर्गवास के बाद खुद तैयार कर आरजी को हडपने की साजिश रची है। जिसको सही मानकर तहसीलदार ने भारी भूल की है। तहसीलदार की आज्ञा कानूनी निगाह में कोई आज्ञा नहीं है बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह आदेश पारित किया है जो हर सूरत में निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है और रामजीलाल के स्वर्गवास के बाद 1/3 हिस्से का दाखिल खारिज अपीलान्ट के नाम दर्ज करना चाहिऐ, शेष रैस्पोडेन्ट किशन व ग्यासी के वारिसान के नाम किया जाना चाहिए था, क्योंकि उक्त व्यक्ति ही मृतक रामजीलाल के ही वारिस हैं, परन्तु तहसीलदार रूपबास द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 के द्वारा वारिसान के नाम दाखिल खारिज नहीं कर वसीयतनामा के आधार पर रैस्पोडेन्ट नम्बर 1,2,3 के नाम दाखिल खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रूपबास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 निरस्त किया जाकर मृतक रामजीलाल की खातेदारी में स्थित भूमि का उसके वारिसान अपीलान्ट के नाम 1/3 हिस्सा व किशन व ग्यारसी के वारिस के नाम 1/3, 1/3 हिस्से करने की आज्ञा दी जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार रूपवास द्वारा उभयपक्षकारान द्वारा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया गया है तथा उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेज का भलीभांति अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 को पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार रामजीलाल की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण भरकर पंचायत के समक्ष पेश किया गया है। जिसमें सजरा भी अंकित किया गया था। उक्त नामान्तकरण पर सरपंच द्वारा इस आशय का नोट अंकित किया गया कि दो फरीक वारिस बनने का प्रयास कर रहे हैं। अतः ग्राम पंचायत में इस संबंध में अगली तारीख दिनांक 10.08.1984 तक असली वारिस का निर्णया करेगी। उसके बाद दिनांक 30.07.1984 को ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त नामान्तकरण प्रस्तुत होने पर उभयपक्षकारान को सुनने के बाद सर्वसम्मति से रैस्पोडेन्ट के हक में हुई वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दिनांक 30.07.1984 को रैस्पोडेन्ट के हक में स्वीकृत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण की अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.06.2001 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार को पुनः जॉच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
12.3.2024
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

दस्तावेजात का समुचित परीक्षण करने के बाद ही पारित किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट का यह तर्क गलत है कि विवादित भूमि के खातेदार रामजीलाल द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की गई वरन् वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि का खातेदार रामजीलाल लावल्द विला औरत होने के कारण शुरू से ही रैस्पोडेन्ट के पास रहता था। रामजीलाल की मृत्यु दिनांक 27.08.1982 को होने के बाद हिन्दू रीति–रिवाज से अन्तिम संस्कार रैस्पोडेन्ट की ओर से ही किया गया था। रामजीलाल की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि का नामान्तकरण अपने नाम चढाये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के संबंध में विधिवत जॉच की गई व रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश किये गये वसीयतनामा के आधार पर रैस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 30.07.1984 को रैस्पोडेन्ट के नाम विवादित भूमि का नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया था। ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मृतक रामजीलाल के वारिसान के संबंध में पूछताछ करने, वसीयत के गवाहान के बयान लेने के बाद रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण नियमानुसार स्वीकृत किया गया था। जहां तक अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लम्बित है तो इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध आईपीसी की धारा 467, 468, 471 व 120(बी) के तहत सिविल न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया था। जिसके आधार पर सिविल न्यायालय में प्रकरण संख्या 367/2008 दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 14.12.2011 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना जिला भरतपुर द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसमें रैस्पोडेन्टस को दोषमुक्त कर दिया गया। अर्थात् वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट के पक्ष में मृतक रामजीलाल द्वारा की गई वसीयत फर्जी थी, स्वतः ही सारहीन हो जाता है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुई वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया था। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही को गलत नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.आर.डी. 1984 पेज 391 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया जिसके अनुसार साधारण पेपर पर लिखी गई वसीयत को भी सही माना गया है। वसीयत को न तो पंजीबद्ध कराया जाना आवश्यक है और न ही प्रोबेट कराये जाने की आवश्यकता है। उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित है। वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.आर.डी. 1986 पेज 454 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए यह भी तर्क दिया कि अगर किसी वसीयत को कोई व्यक्ति फर्जी होना बताता है तो इसको साबित करने का भार भी संबंधित पक्षकार पर ही है। बिना किसी ठोस सबूत या दस्तावेज के यह नहीं माना जा सकता कि मृतक द्वारा कोई वसीयत नहीं की गई

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.3.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हो। उक्त प्रकरण में भी अपीलान्टस रैस्पोडेन्ट के पक्ष में मृतक खातेदार रामजीलाल की ओर से की गई वसीयत को फ़र्जी साबित नहीं कर पाये हैं। अतः इस आधार पर तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। इसके अलावा मृतक रामजीलाल के द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई वसीयत के अलावा अन्य कोई दूसरी वसीयत आदिनांक तक किसी भी अदालत में पेश नहीं हुई है। रैस्पोडेन्ट के पक्ष में हुई वसीयत अन्तिम वसीयत है। इस वसीयत के गवाहान द्वारा अदालत मातहत में मृतक रामजीलाल द्वारा वसीयत किये जाने को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में अपने पक्ष में अन्य दस्तावेजात भी पेश किये हैं। जिनका समुचित परीक्षण करने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में भी अन्तिम निर्णय हो चुका है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में रैस्पोडेन्टस को बरी नहीं किया जाकर संदेह का लाभ दिया गया है। अतः वकील रैस्पोडेन्ट का यह कथन कि इस आधार पर मृतक रामजीलाल द्वारा की गई तथाकथित वसीयत वैध हो गई है, मानने योग्य नहीं है। तहसीलदार रूपवास की ओर से अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का न तो विधिवत अवलोकन ही किया और न ही समुचित परीक्षण ही किया। केवल मात्र रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 को पारित किया है, जो कि बहस के दौरान प्रस्तुत विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अग्रेषित किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार रामजीलाल की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 412 भरकर पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.07.1984 को रैस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तकरण रैस्पोडेन्ट के नाम किये जाने का आदेश पारित किया। ग्राम पंचायत की ओर से तस्दीक किये गये उक्त नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 30.07.1984 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 30.07.1984 को निरस्त कर तहसीलदार

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.3.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रूपवास को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर दें एवं कथित वसीयतनामा के गुणावगुण की भी विधिवत जॉच करें। मृतक रामजीलाल के विरासत के नामान्तकरण का दो माह में निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को विधिवित नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में उभयपक्षकारान की ओर से अभिभाषकगण उपस्थित हुए। उक्त प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात व मंजूराम पुत्र बृजफल, सीताराम पुत्र बालूराम, गीजेन्द्र पुत्र ख्यालीराम, मूलचंद पुत्र धर्मसिंह, मटोल पुत्र अंगना, नत्थीसिंह पुत्र करणसिंह, परसादी पुत्र गोविन्दा के बयान आदि लेने व उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2002 को पारित किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि रैस्पोडेन्ट द्वारा मूल अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 19. 08.82, गवाहान सीताराम पुत्र बालूराम, मंजूराम पुत्र बृजफल, गीजेन्द्र पुत्र ख्यालीराम व मूलचंद पुत्र धर्मसिंह के बयान कराये गये तथा अपीलान्ट की ओर से मटोल पुत्र अंगना, नत्थी पुत्र करणसिंह व परसादी पुत्र गोविन्दा के बयान दर्ज करवाये गये। इस निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट के विद्वान वकील श्री दामोदरलाल शर्मा द्वारा बहस में मुख्य बिन्दु यह उठाया गया है कि उक्त अपंजीकृत वसीयतनामा कूटरचित फर्जी है, परन्तु अपीलान्ट की तरफ से ऐसा कोई ठोस लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त अपंजीकृत वसीयतनामा कूटरचित फर्जी साबित हो सके। अपंजीकृत वसीयतनामा व गवाहान के आधार पर वसीयतनामा को सही मानते हुए ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 412 वाकै ग्राम बसेरी को मृतक रामजीलाल के बजाय तेजसिंह, रामभजन व हरभान पिसरान शिवगणेश जाति जाट निवासी बसेरी के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि तहसीलदार रूपवास द्वारा उक्त निर्णय उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि अपीलाधीन निर्णय संक्षिप्त होने के कारण निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तो इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा तहसीलदार रूपवास को अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक 30.06.2001 के द्वारा उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर देने व कथित वसीयतनामा के गुणावगुण की विधिवत जॉच करने के निर्देश दिए थे। जिसकी पालना में तहसीलदार रूपवास द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया है तथा उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात व गवाहान के बयानों के आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत

12.3.2004
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वसीयत को उचित माना है। जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में भी किया गया है।

इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 2005 पेज 85 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का जहां तक प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में वर्णित तथ्य उक्त नजीर में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त सिद्धान्त हमारी विनम्र राय में इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसी तरह आर.आर.डी. 2003 पेज 415 पर उद्धरित निर्णय का जहां तक प्रश्न है तो उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त से भी हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त नजीर में गोदनामा व वसीयत के संबंध में विवाद होने पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संबंधित पक्षकार अपने स्वत्व या अधिकार के लिए संबंधित सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही है। उसमें कोई स्वत्व या अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, परन्तु हमारे समक्ष विचाराधीन अपील में अपीलान्ट स्वयं को मृतक रामजीलाल का वारिस बता रहे हैं। जबकि रैस्पोडेन्टस द्वारा मृतक रामजीलाल की ओर से उनके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने का अनुतोष चाहा गया था। चूंकि किसी भी खातेदार की मृत्यु होने के बाद राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि नामान्तकरण संबंधी प्रकिया से ही की जा सकती है। इसके तहत ही मृतक खातेदार के स्थान पर रैस्पोडेन्ट के नाम नामान्तकरण खोले जाने का आदेश तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2002 के द्वारा दिया गया है। जिसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि तहसीलदार द्वारा रैस्पोडेन्ट को कोई स्वत्व या खातेदारी अधिकार दिये गये हों। अतः उक्त नजीर भी हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उक्त प्रकरण में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से दौराने बहस अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला भरतपुर की ओर से प्रकरण संख्या 367/2008 मटोली बनाम तेजसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2011 के अनुसार अपीलान्ट की ओर से धारा 467, 468, 471 व 120(बी) अन्तर्गत सीपीसी के तहत दर्ज कराये गये प्रकरण में रैस्पोडेन्ट पर आरोप प्रमाणित नहीं होना मानकर दोषमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार आर.आर.डी. 1984 पेज 391 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह माना गया है कि साधारण पन्ने पर लिखी गई वसीयत को भी माना जा सकता है, वसीयत को न तो पंजीबद्ध कराना और न ही विहित प्रकिया के अनुसार निष्पादित कराया जाने को आवश्यक माना गया है। उक्त प्रकरण में भी चूंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार रूपवास के समक्ष साधारण पेपर पर लिखी गई वसीयत पेश की गई है। जिसके गवाहान ने अपने बयानों में पुष्टि की है। इसलिए उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी अपीलाधीन निर्णय में कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। उक्त प्रकरण में ही वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1986 पेज 454 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वसीयत के फर्जी होने के बिन्दु को साबित करने का भार अपीलान्ट पर था, परन्तु अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि के मृतक खातेदार द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में मृत्यु से पूर्व कोई वसीयत नहीं लिखी गई है। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट की ओर से राशन कार्ड आदि की प्रति भी पेश की गई है। जिसमें मृतक रामजीलाल को रैस्पोडेन्ट तेजसिंह के परिवार का सदस्य बताया गया है। अतः इस आधार पर भी तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 04.09.2002 उचित प्रतीत होता है।

उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात से भी यह स्पष्ट है कि वसीयत दिनांक 19.07.82 को अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए घोषित कराने के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2 बयाना के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप पुनः कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 में उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेज के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.2024

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर